



EAST CENTRAL RAILWAY

SAMASTIPUR/ DIV

Digitally Signed,
Name: VIVEK KUMAR (CSTFKA)
Date: 16-Jan-2026 12:52:39
Location: SPJD/ECR



ID: 2026606768

Office Order No. : 51/NG/2026/MEDICAL/SPJ

Office Of: मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)
समस्तीपुर

Date : 15-01-2026

महाप्रबंधक(का0)/पूमरे/हाजीपुर के पत्र सं0- ECR/HRD/Rect/RRB Panel/Medical, दिनांक- 31.10.2025 के द्वारा निम्नलिखित अभ्यर्थी फार्मासिस्ट (Pharmacist/Entry Grade), लेवल-05 (ग्रेड पे-₹2800/-) के पद पर नियुक्ति हेतु अंतिम रूप से सुयोग्य पाये गये हैं। ये सभी अभ्यर्थी निर्धारित चिकित्सा श्रेणी में उत्तीर्ण हैं। इनके द्वारा नियुक्ति प्रस्ताव स्वीकार करने के उपरान्त चिकित्सा विभाग के फार्मासिस्ट (Pharmacist), लेवल-05 के पद पर अस्थायी नियुक्ति करते हुए इनकी पदस्थापना मंडल रेल अस्पताल/समस्तीपुर में निम्नवत् की जाती है:-

Sr No.	Employee Details Name, Community, DOB	Appointment Details	Posting Details Unit, BU, Department, Station	ID-Marks	W.E.F	Mode of Appointment	Employee Signature	Employee Photo
1	MUNENDRA KUMAR OBC DOB: 15-07-1998 MEDICAL: Fit in C2 (Cert No: 04/2024/SEERH/1458) PAN: KRZPK0397E HRMS ID: HZNNWW	PHARMACIST (ENTRY GRADE) Level: 5 Basic: 29200	SAMASTIPUR / DIV 3006161 MEDICAL SPJ	1. A MOLE ON RIGHT SHOULDER 2. A MOLE ON RIGHT CHEEK	NA	RRB RRB - MUZAFFARPUR Merit No: 0		

इन्हें समय-समय पर स्वीकार्य भत्ता देय है। वेतन का लाभ इनके वास्तविक कार्यभार ग्रहण की तिथि से देय होगा। जहाँ नियुक्त पद पर प्रशिक्षण आवश्यक होगा, वहाँ संबंधित विभाग/अधिकारी द्वारा नियमानुसार प्रशिक्षण की व्यवस्था में अभ्यर्थी को सम्मिलित होना होगा।

इनकी नियुक्ति के संबंध में वे सभी शर्तें लागू होंगी जो एक अस्थायी कर्मचारी पर लागू होती है। चरित्र सत्यापन के दौरान प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने अथवा शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्र के सत्यापन के दौरान त्रुटि पाये जाने पर सेवा समाप्त कर दी जायेगी। इन्हें प्रादेशिक सेना के रेलवे इंजीनियरिंग इकाई में 12 वर्षों तक तथा प्रादेशिक सेना में 06 वर्षों तक सैन्य सेवा करनी होगी, जिसे आवश्यकतानुसार बढ़ाया भी जा सकता है। इनकी सेवा रेलवे बोर्ड के परिपत्र सं0-F(E)/III/2003/PN-I/24 दिनांक- 31.12.2003 द्वारा जारी सभी नियमों एवं विनियमों के अधीन दिनांक- 01.01.2004 से प्रभावी नई पेंशन योजना अथवा रेलवे बोर्ड के परिपत्र सं0- F(E)/III/2025/UPS/1 दिनांक- 28.03.2025 द्वारा जारी सभी नियमों एवं विनियमों के अधीन दिनांक- 01.04.2025 से प्रभावी एकीकृत पेंशन योजना एवं समय-समय पर बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों से शासित होगी।

(विवेक कुमार)
वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी
समस्तीपुर

File Reference No. : ECR-SPJ0PERS(rect)/0011/2025

Copy forwarded for information and necessary action to:

1. मुचिधी/सम0:- कृपया कर्मचारी के योगदान पश्चात् उनके योगदान रिपोर्ट से मरेप्र (कर्मिक) कार्यालय/समन्तीपुर को शीघ्र अवगत कराएं। 2. वमविप्र/सम0 3. संबंधित बिल लिपिक 4. मुकार्याधी/एम. पी. पी.- वे कृपया इसे समन्तीपुर मंडल के वेबसाइट पर अपलोड करने की व्यवस्था करें। 5. संबंधित कर्मचारी: आप अपने पदस्थापना स्थल पर शीघ्र योगदान करें। 6. मंडल मंत्री- ईसीआरईयू, ओबीसी एवं अजा-अजजा एशो0/सम0 7. अभिलेख हेतु।

(विवेक कुमार)

वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी

समन्तीपुर

Annexure attached : 0 Pages

